तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विप्रार्थी संख्या 2 की वकील की बहस है कि विवादित भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की है। विप्रार्थी संख्या 2 विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। विधि अनुसार रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अज अदालत द्वारा दिनांक 28.02.2023 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। हमने विप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि का परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा माफिक हक हिस्सा अपनी भूमि का विकास एवं उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। विधि अनुसार संयुक्त भूमि में सभी पक्षकारान का प्रत्येक इंच पर समान हक विद्यामन है तथा उन्हे वास्तविक हिस्सो की सीमा तक भूमि का बेचान किये जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थगन आदेश की जरिये अपने हिस्से की भूमि का विकास करने से रोका जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षति के तीनो बिन्दु दोनो पक्षों पर समान रूप से लागु होते है और किसी एक पक्ष को उसके स्वत्व के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है । लिहाजा अज अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.02.2023 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2025.11.18 19:08:45 IST Reason: SelfAttested	